संख्या- 66 /2922/बयालिस-2014-23(संघ अनुदान)/1999

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2- प्रधानाचार्य,
गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज,
लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य,
बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज,
गोरखपुर।

3- प्रधानाचार्य,
सैफई स्पोर्टस कालेज,
सैफई।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2014**

विषय- स्पोर्टस कालेज एवं स्पोर्टस हॉस्टल में रहने वाले खिलाडियों की डायट मनी में बढ़ोत्तरी एंव उनके डायट मैन्यू में सुधार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 745/संगठन/मा0 मुख्यमंत्री घोषण/2014-15, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 262/बयालिस-2006-23(संघ अनुदान)/1999, दिनांक 01 फरवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या- 3577/बयालिस-2010-23(संघ अनुदान)/1999, दिनांक 20 जनवरी, 2011 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाडियों केा अनुमन्य वर्तमान आहार दर रू0 100/- से बढ़ाकर रू0 200/- एंव आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु संचालित होने वाले केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाडियों का आहार दर रू0 100/- से बढ़ाकर रू0 250/- किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त पदों के पुनरीक्षित के स्वरूप स्पोर्टस कालेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई के छात्रों पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित स्पोर्टस कोलजों को स्वीकृत/स्रोत राशि से वहन किया जायेगा। इसके लिए कालेजों द्वारा अतिरिक्त अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

(2)- आवासीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व प्रदेशीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाडियों को आहार दर में हुई वृद्धि के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को खेल निदेशालय द्वारा अपने वार्षिक आय-व्ययक में समाहित किया जायेगा।

(3)- आवासीय क्रीड़ा छात्रों, केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाडियों के सम्बन्ध में परिवर्तित मैन्यू निदेशक खेल एवं स्पोर्टस कालेजों के सम्बन्ध में

http://shasanadesh.up.nic.in

परिवर्तित मैन्यू सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से जारी किया जायेगा तथा एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या- 22 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवा-104-खेकलूद के अन्तर्गत सुसंगत मदों में हुए प्राइज़ में वहन किया जायेगा।

3- उक्त संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी। यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशा0 पत्र संख्या- ई-5-1488/दस-2014, दिनांक 22.12.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या- 66/2922(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/गोरखपुर।
(4)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(5)- नियोजन अनुभाग- 4
(6)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in